निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 206) पटना, बुधवार, 26 मार्च 2025

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

4 मार्च 2025

सं० **18/विविध–18/2017–/480 (18) स्वा०**—भारत सरकार के नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा–54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार **"बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013** में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**–
   - **(i)** यह नियमावली **"बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2025"** कही जा सकेगी।
   - **(ii)** इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   - **(iii)** यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **"बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013" के नियम 1(2) का प्रतिस्थापन**– उक्त नियमावली के नियम 1(2) को निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है–"नियम 1(2)–इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह बिहार राज्य के सभी नैदानिक स्थापनों **(01–40 बेड तक के अस्पतालों को छोड़कर)** पर लागू होगी।"

3. **"बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013" के नियम 22 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम 22 को निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है –

नियम 22(1) – औपबंधिक (Provisional) रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी –प्राधिकार औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के पूर्व किसी प्रकार की जाँच नहीं करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों की अवधि के अंदर आवेदक को अधिनियम की धारा 15, सहपठित धारा 17 के अधीन डाक या एलेक्ट्रानिक पद्धति से एस०जी०आर० उपबंध के अनुसार विशिष्टयों एवं सूचना से युक्त औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

नियम 22(2) – ऐसे नैदानिक स्थापनों को, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मानको को अधिसूचित किया गया है, निम्नलिखित अवधि से परे औपबंधिक (Provisional) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान या नवीकृत नहीं किया जायेगा यथा–

(i) नैदानिक स्थापनों की दशा में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले अस्तित्व में थे मानकों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि;

(ii) नैदानिक स्थापनों की दशा में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात किन्तु मानकों की अधिसूचना से पहले अस्तित्व में आए, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि; और

(iii) नैदानिक स्थापनों के लिए जो मानकों के अधिसूचित होने के पश्चात अस्तित्व में आए, मानक अधिसूचना की तारीख से छः माह की अवधि।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 206-571+10-**डी0टी0पी0 ।**
Website: http://egazette.bih.nic.in